



अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना सरफेसी अधिनियम 2002 के अन्तर्गत सहपठित नियम 8(6) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को तथा देनदारों एवं जमानतदारों को विशेष रूप से यह सूचना दी जाती है कि रक्षित लेनदार के पास बंधक रखी गई निम्नलिखित अचल सम्पत्तियों, जिसका सांकेतिक कब्जा प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, रक्षित लेनदार, द्वारा लिया गया जा चुका है, 'जहां है जैसी है' तथा 'जहां है वैसी है' के आधार पर यहां नीचे निर्दिष्ट तिथि एवं समय को रक्षित लेनदार-सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा देनदारों तथा जमानतदारों से बकाया राशि की वसूली हेतु विक्रय की जाएगी। संबंधित सम्पत्तियों को आरक्षित मूल्य तथा धरोहर जमा राशि यहां नीचे उल्लेखित है:-

अचल संपत्तियों का विवरण

देनदारों/ शाखा का नाम/ खाता संख्या एवं आईएफएससी कोड:- (1) मैसर्स के.एन. केशु ऋणस्ट्रीज जयिजे प्रोपराइटर श्रीमती प्रियंका देवी कुमावत पत्नि श्री सुनील कुमार कुमावत प्लॉट नं. 50, कंचन इण्डस्ट्रीयल पार्क, मण्डा, कालांडेरा के पास, ग्राम-लालसर, तहसील किशनगढ़, रेनवाल, जिला-जयपुर (राज.), (2) श्रीमती प्रियंका देवी कुमावत पत्नि श्री सुनील कुमार कुमावत निवासी-ग्राम कालांडेरा, चौमूं, जयपुर एवं जमानतदार (1) श्री सुनील कुमार कुमावत पुत्र श्री साधुराम कुमावत निवासी-ग्राम कालांडेरा, चौमूं, जयपुर शाखा- टॉक रोड, जयपुर खाता सं. - 3054010323 IFSC Code: CBIN0281478 खाते का नाम- सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

सम्पत्ति का विवरण

आरक्षित मूल्य रु. धरोहर जमा राशि रु. बिड वृद्धि राशि रु.	नीलामी दिनांक, ईएमपी जमा कराने की अंतिम दिनांक एवं निरीक्षण दिनांक
रु. 68,50,000/-	27.07.2020
रु. 6,85,000/-	24.07.2020
रु. 10,000/-	22.07.2020

(1) (अ) सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग गठित होते हैं जो कि ऋणीगण:- श्रीमती प्रियंका देवी कुमावत पत्नि श्री सुनील कुमार कुमावत निवासी-ग्राम कालांडेरा, चौमूं, जयपुर के स्वामित्व में एक प्लॉट नं. 50, कंचन इण्डस्ट्रीयल पार्क, मण्डा कालांडेरा के पास, ग्राम- लालसर, तहसील किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर (राज.) जिसका कुल क्षेत्रफल 2397 स्क्वायर गज है जिसमें सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग गठित होते हैं। चारो ओर की सीमाएं:- पूर्व में- 60 फीट रोड, पश्चिम में- प्लॉट नं. 77, उत्तर में- अन्य प्लॉट, दक्षिण में- प्लॉट नं. 49

(ब) सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग गठित होते हैं जो कि ऋणीगण:- श्री सुनील कुमार कुमावत पुत्र श्री साधुराम कुमावत निवासी-ग्राम कालांडेरा, चौमूं, जयपुर के स्वामित्व में एक प्लॉट नं. 49, कंचन इण्डस्ट्रीयल पार्क, मण्डा कालांडेरा के पास, ग्राम- लालसर, तहसील किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर (राज.) जिसका कुल क्षेत्रफल 1942.67 स्क्वायर गज है जिसमें सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग गठित होते हैं। चारो ओर की सीमाएं:- पूर्व में- 60 फीट रोड, पश्चिम में- प्लॉट नं. 78, उत्तर में- प्लॉट नं. 50, दक्षिण में- प्लॉट नं. 48

(स) हाईपॉथीकेशन प्लॉट एवं मशीनी एवं स्टॉक, स्थित- प्लॉट नं. 50, कंचन इण्डस्ट्रीयल पार्क, मण्डा कालांडेरा के पास, ग्राम- लालसर, तहसील किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर (राज.)

(2) सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग गठित होते हैं जो कि ऋणीगण:- श्री सुनील कुमार कुमावत पुत्र श्री साधुराम कुमावत निवासी-ग्राम कालांडेरा, चौमूं, जयपुर के स्वामित्व में एक प्लॉट नं. सी-341, स्क्रीम नं. 4-सी, माचेडा, जिला-जयपुर (राज.) जिसका कुल क्षेत्रफल 250.83 स्क्वायर गज है जिसमें सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग गठित होते हैं। चारो ओर की सीमाएं:- पूर्व में- अन्य प्लॉट, पश्चिम में- 30 फीट रोड, उत्तर में- प्लॉट नं. सी-34 ए, दक्षिण में- प्लॉट नं. सी-342 एवं 342ए

बकाया राशि (रक्षित ऋण) डिमाण्ड नोटिस तिथि कबूते की दिनांक:- दिनांक 04.06.2020 13(2) के नोटिस के अनुसार बकाया राशि रुपये 1,29,45,371/- (रुपये एक करोड़ उन्तीस लाख पैंतालिस हजार तीन सौ इकहत्तर मात्र) दिनांक 28.01.2020 + आगे का ब्याज व खर्च अतिरिक्त

ई-नीलामी की नियम व शर्तें:- 1. नीलामी ऑनलाईन ई-नीलामी प्रक्रिया के जरिये वेबसाइट <https://www.bankauctions.com> पर होगी। नीलामी की दिनांक एवं समय:- 27.07.2020 को दोपहर 12.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तकके मध्य (बन्द होने के अंतिम 5 मिनट की स्वतः समयावधि वाक्यांश के साथ) ई-नीलामी 'जहां है जैसी है वहां जो कुछ भी है' के आधार पर होगी। 2. वेब पोर्टल पर बोली तथा कागजी प्रतियां शाखा में जमा कराने हेतु अंतिम दिनांक 24.07.2020 को सांय 04:00 बजे तक होगी। 3. नीलामी/बोली प्रक्रिया ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रक्रिया के जरिये वेबसाइट <https://www.bankauctions.com> पर होगी। बोलीदाताओं को ई-नीलामी विक्रय प्रक्रिया की विस्तृत शर्तों हेतु वेबसाइट के जरिये जाने की सलाह दी जाती है। 4. इच्छुक बोलीदाता को अपने नाम को पार्शल <https://www.bankauctions.com> पर पंजीकृत कर तथा निशुल्क यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना चाहिए। संबंधित बोलीदाता ई-नीलामी हेतु ऑनलाईन प्रशिक्षण मैसर्स सी 1 इण्डिया प्रा. लि. गल्प पेट्रोकेम बिल्डिंग, बिल्डिंग नं. 301, प्रथम तल, उद्योग विहार, फेज-2, गुडगांव, श्री विनोद चौहान सम्पर्क सं. 09813887931 से प्राप्त कर सकते हैं गल्प पेट्रोकेम बिल्डिंग, बिल्डिंग नं. 301, प्रथम तल, उद्योग विहार, फेज-2, गुडगांव हेल्पलाईन नं. +91-1244302020/21/22/23/24. Help Line e-mail ID: support@bankauctions.com 5. धरोहर राशि RTGS/NEFT/Fund Transfer के जरिये दिनांक 24.07.2020 तक या उससे पूर्व उपरोक्त दिये गये विवरण के अनुसार संबंधित खाते में जमा की जायेगी। 6. बोलीदाता के द्वारा वेबपोर्टल के द्वारा वेबपोर्टल के निम्नलिखित दस्तावेजा की प्रतियां बोली जमा कराने की अंतिम दिनांक से पूर्व अपलोड करनी आवश्यक है यथा 1. NEFT/RTGS चालान की प्रति 2. पैन कार्ड की प्रति 3. पहचान का साक्ष्य (KYC) स्वहस्ताक्षरित वोटर आईडी कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट/आधार कार्ड इत्यादि की प्रति 4. पते के साक्ष्य की प्रति जिसके बिना बोली निरस्त किये जाने योग्य होगी। 7. धरोहर राशि सफलतम/उच्चतम बोलीदाता की दशा में समायोजित कर ली जायेगी अन्यथा विक्रय सम्पूर्ण होने के 7 दिवसों के भीतर लौटा दी जायेगी धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा। 8. इच्छुक बोलीदाता संपत्तियों का निरीक्षण स्थान पर दिनांक 27.07.2020 को दिनांक 11:00 बजे से सांय 04:00 बजे के मध्य संबंधित शाखा के माध्यम से कर सकते हैं। 9. नीलामी आरक्षित मूल्य से उपरोक्तानुसार शुरू होगी। बोलीदाता जो उच्चतम बोली (आरक्षित मूल्य से कम नही) ऑनलाईन नीलामी बन्द होने तक जमा करायेंगे उसे प्राधिकृत अधिकारी के अनुमोदन के आधार पर सफलतम बोलीदाता घोषित किया जायेगा। 10. सफलतम बोलीदाता बोलीराशि का 25% (पूर्व में भुगतान की गई धरोहर राशि को शामिल करते हुए) उसके पक्ष में विक्रय होते ही तुरन्त तथा शेष राशि विक्रय पुष्टिकरण के 15 दिवसों के भीतर जमा करवायेगा। यदि सफलतम बोलीदाता उपरोक्तानुसार विक्रय राशि का भुगतान करने में असमर्थ रहता है तो उसके द्वारा जमा राशि जन्म कर ली जायेगी। 11. समस्त प्रश्न किसी भी अधिकरण को बकाया, परिवहन, मुद्रांक शुल्क तथा पंजीकरण के खर्च इत्यादि जो भी लागू होते हैं सफलतम बोलीदाता द्वारा ही वहन किये जायेंगे। 12. यदि ऋणी बैंक को कुल बकाया राशि का सम्पूर्ण भुगतान नीलामी की दिनांक से पूर्व कर देता है तो संबंधित नीलामी रोक दी जायेगी/निरस्त कर दी जायेगी। 13. बैंक नीलामी की नियम तथा शर्तों में बिना कोई कारण बताये स्थगन/रद्द करने का अधिकार आरक्षित रहता है। 14. संपत्ति सं संबंधित जानकारी एवं अन्य विवरण हेतु सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया टॉक रोड, जयपुर, श्री शाखा प्रबंधक अचल सिंह चौहान, मो. 9672993105 शाखा ई-मेल bmajp1478@centralbank.co.in निम्न सं. 1 इण्डिया प्रा. लि. गल्प पेट्रोकेम बिल्डिंग, बिल्डिंग नं. 301, प्रथम तल, उद्योग विहार, फेज-2, गुडगांव से सम्पर्क कर सकते हैं।

सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत 30 दिवस की वैधानिक विक्रय सूचना

ऋणीयों/जमानतदारों को उपरोक्त वर्णित राशि का नियत तिथि तक ब्याज एवं सहायक खर्चों के साथ ई-नीलामी की दिनांक से पूर्व भुगतान करने हेतु सूचित किया जाता है जिसमें चूक होने पर सम्पत्ति नीलाम/बेच दी जायेगी तथा बकाया राशि यदि कोई है तो ब्याज लागत के साथ वसूल की जायेगी।

दिनांक: 25.06.2020, स्थान: जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया